न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 08 / 2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021 / 95)

उनवान प्रकरण :–

महावीर प्रसाद पुत्र श्री माताप्रसाद जाति वैश्य निवासी हलवाईखाना कोठी धौलपुर जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–रामकुमार पुत्र विपतीराम जाति वैश्य निवासी कालीमाई मन्दिर के पास बजरिया धौलपुर

2–मनीष पुत्र राधाचरण बंसल जाति वैश्य निवासी टाटापाडा बाडी जिला धौलपुर

3–शिवशंकर पुत्र वैजनाथ जाति वैश्य निवासी सुपरडैन्ट का बाडा बजरिया धौलपुर

4–शमसुद्दीन पुत्र छीतरिया खॉ जाति मुसलमान नि0बाडा नाना सहाव बजरिया धौ0

5–कु0 रेनू यादव पुत्री किरोरीलाल यादव जाति अहिर निवासी दमापुर धौलपुर

6–संदीप गुप्ता पुत्र श्रीभगवान गुप्ता जाति वैश्य नि0 ईमलीगली कायस्तपाडा धौ0

7–दिनेशकुमारशर्मा पुत्र सूरजभानशर्मा जाति ब्राहम्ण नि0विरजापाडा पुरानाशहर धौ0

8–बृजेश कुमार शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण नि0सैपऊ जिला धौलपुर

9–श्रीमती नीलम बौहरा पत्नी श्री प्रदीप सिंह ओसवाल जाति वैश्य नि0कोठी धौ0

10–श्रीमती रजनी कुमारी पत्नी श्री ग्यानचन्द अरोडा जाति खत्री पंजाबी निवासी काजीपाडा कांमा तहसील व जिला भरतपुर

11–मुकेश कुमार गर्ग पुत्र रोशनलाल गर्ग जाति वैश्य नि0सेठगली सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

12–अनिल कुमार सिधंल पुत्र मथुराप्रसाद जाति वैश्य नि0अग्रसेन कोलोनी बाडी जिला धौलपुर

13–कु0 माला यादव पुत्री किरोरीलाल यादव जाति अहिर नि0दमापुर जिला धौ0

14–प्रतापसिंह पुत्र फत्तेसिंह जाति त्यागी नि0ग्राम सरकना तह0सैपऊ जिला धौ0

15–पंकज कुमार बसंल पुत्र सुरेशचन्द बंसल जाति वैश्य नि0गायत्री मार्केट हरदेव नगर धौलपुर

16–सुनील कुमार बंसल पुत्र सुरेशचन्द बंसल जाति वैश्य नि0गायत्री मार्केट हरदेव नगर धौलपुर

17–सुरेशचन्द बसंल पुत्री मिश्रीलाल बंसल जाति वैश्य नि0गायत्री मार्केट हरदेव नगर धौलपुर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

18–श्रीमती अंजूदेवी पत्नी यशपाल सिंह जाति जाट निवासी विधीपुर तहसील सादावाद जिला हाथरस

19–संयुक्त हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ.के कर्त्ता) डां0 विजयसिंह पुत्र बावूलाल जाति ठाकुर निवासी सिटी जुबलीहॉल के पास घन्टाघर रोड धौलपुर

20–यशपाल सिंह पुत्र कोमलसिंह जाति जाट नि0 विधीपुर तह0 सादाबाद,हाथरस

21–बृजेश त्यागी । पिसरान महेन्द्रसिंह त्यागी

22–मनोज त्यागी । निवासीगण सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर

23–श्रीमती मायादेवी शर्मा पत्नी उम्मेदीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी जी.टी.रोड श्याम कोलोनी धौलपुर

24–उम्मेदीलाल पुत्र वृन्दावन जाति त्यागी निवासी ग्राम फूलपुर तहसील धौलपुर

25–बसंतसिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति त्यागी नि0ग्राम सकतपुर तहसील व जिला धौ0

26–पप्पे पुत्र भंवरसिंह जाति त्यागी नि0ग्राम महाब तहसील व जिला आगरा उ0प्र0

27–रामनाथ । पिसरान भगवानसिंह जाति त्यागी

28–कम्बोदसिंह । निवासी ग्राम फूलपुर तहसील व जिला धौलपुर

29–संदीप कुमार पुत्र मौजीराम जाति वैश्य निवासी ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर

30–बृजमोहन गोयल पुत्र सुरेशचन्द गोयल जाति वैश्य नि0ग्राम सैपऊ जिला धौ0

31–सत्यनारायन शर्मा पुत्र मदनमोहनशर्मा जाति ब्राहम्ण नि0 बी–37 त्यागी विहार धर्म कोलोनी नागालोई नई दिल्ली–11 हाल निवासी मौहल्ला ग्रान्डील धौ0

32–प्रदीपकुमार शर्मा पुत्र किशनचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रान्डील धौलपुर

33–चन्द्रभानशर्मा पुत्र नेमीचन्दशर्मा जातिब्राहम्ण नि0ग्राम शास्त्रनगर तह0सैपऊ,धौ0

34–विवेक सरीन पुत्र दलपति सरीन जाति खत्री नि0 चर्च के पास भामतीपुरा धौ0

35–पवनकुमार अग्रवाल पुत्र हरीश्चन्द अग्रवाल जाति वैश्य निवासी डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

36–डॉ0 विजयसिंह पुत्र बावूलाल जाति ठाकुर निवासी सिटी जुबली हॉल के पास घन्टाघर रोड धौलपुर

37–प्रभात तिवारी पुत्र रमेशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्रीनगर धौलपुर

38–वासदेव । पिसरान अमरसिंह जाति ठाकुर

39–बनवारी । निवासी ग्राम गडराई

40–रामकुमार । तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

41–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर .....**अप्रार्थीगण**

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री भगवती प्रसाद झां एडवोकेट

अप्रार्थी सं05 व 13 की ओर से – श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अप्रार्थी सं0 9 की ओर से ब्रीफहोल्डर –श्री शरीफखांन एडवोकेट
अप्रार्थी सं0 12,29,34 की ओर से – श्री हरवीरसिंह एडवोकेट
अप्रार्थी सं015 लगा0 17 की ओर से – श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट

निर्णय दिनांक 13.07.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत पेंश कर निवेदन किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 225मिन, 216मिन व 216मिन बांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर चॉदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता थे तथा बन्दोवस्त पूर्व चॉदवाडी फौज के उपयोग में आते थे। महकमा बन्दोवस्त ने उक्त साविक खसरा नम्बर को हाल खसरा नम्बर 208/1127, 208/1128 बांके ग्राम साडा तहसील धौलपुर दर्ज किया गया है। चॉदवाडी फौज की भूमि फौज के उपयोग में आती है तथा गैर मुमकिन रास्ता का प्रयोग आम रास्ते यानिकी सार्वजनिक हित में होता है। इस प्रकार की जमीनों को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नाम अन्तरण कर इन्द्रांज नहीं किये जा सकते है। उक्त विवादित साविक आराजी को दौराने बन्दोवस्त राजस्व कर्मचारियों के साथ साज कर कुछ लोगों ने पटवार हल्का व आंवटन कमेटी को धोखा देकर अपने नाम आवंटन करा लिया जो कि कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा में वर्णित भूमियॉ किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटित या नियमन नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण ने चॉदवाडी फौज व गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन, नियमन गलत तरीके से कराया जिसको दौराने बन्दोवस्त गैरखातेदारी फिर खातेदारी का इन्द्रांज कराया जो कि कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है तथा ऐसे गलत एवं फर्जी इन्द्राजातों से अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर साविक 216मिन, 225, 216मिन किस्म चॉदवाडी फौज, गैर मुमकिन रास्ता बांके ग्राम सांडा तहसील धौलपुर के हाल खसरा नम्बर 208/1127, 208/1128 बांके ग्राम सांडा तहसील धौलपुर जो अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे तथा उक्त आराजी को पुनः राजस्व अभिलेखों में चॉदवाडी फौज व गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0 जिला कलक्टर धौलपुर
बमुक महावीरप्रसाद बनाम रामकुमार वगैरा
रैफरेन्स संख्या 08/2021

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2028 ग्राम सांझा तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 ग्राम सांझा तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी सम्बत 2015 से 2018 ग्राम सांझा तहसील धौलपुर पेश की है।

उक्त रैफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–6,8,11,14,30 व 33 बावजूद

तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 6.11.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी संख्या 2,10,26,35 के पूर्ण एवं सही पते पर तलबी हेतु कई मौके एवं अंतिम मौके दिये गये तथा तलबी हेतु पर्याप्त समय दिया गया परन्तु उनके द्वारा तलबी का स्टेप नहीं लिये जाने के कारण दिनांक 5.7.2021 को तलबी का मौका बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या–3 लगा0 5, 13, 21 लगा0 25, 27, 28, एंव 38 लगा0 40 के अभिभाषकगणों की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का व उस पर कोई कार्यवाही करने का न्यायालय श्रीमान को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवंटन हेतु आवंटन कमेटी को दी गई जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत जॉच करने के पश्चात आवंटन किया गया है तत्पशचात नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये है और उत्तरदातागण द्वारा खातेदार से जमीन क्रय की गई है। क्रय करने के पश्चात विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विक्रय पत्रों द्वारा विक्रय की गई है तथा क्रेताओं का मौके पर कब्जा है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। यह कि आवंटन जब तक है और आवंटन को निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक रेफरेन्स की कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है। उक्त रेफरेन्स गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकार नहीं है कि यह भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रभावी होते समय चॉदबाडी व रास्ते की भूमि हो। धौलपुर रियासत मत्स्य राज्य जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य का हिस्सा है मे धौलपुर रियासत के अन्तिम महाराज स्व. श्री उदयभान सिंह ने वर्ष 1954 के आस पास मिलाने हेतु सहमति दे दी थी और धौलपुर रियासत मत्स्य राज्य की हिस्सा बन गयी जो बाद मे राजस्थान राज्य का हिस्सा बनी है। इस प्रकार से वर्ष 1954 के पश्चात से धौलपुर मे फौज अर्थात सेना की स्थिति नहीं रही न ऐसा की कोई गतिविधियॉ धौलपुर मे रही है। इस प्रकार से गत खसरा नम्बर 225 व 216 ग्राम सांझा फौज की चॉदबाडी के रूप मे

(आर0 के0 जागसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर

या आने जाने हेतु कभी रास्ते के रूप में वर्ष 1954 से अब तक उपयोग उपभोग में नहीं आयी। यह कि आवेदक द्वारा गत खसरा संख्या 226 मिन, 226मिन, 218मिन का जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है वह असत्य एवं अपूर्ण है। उक्त गत खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान हो जो वर्तमान में है 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 208 / 1126, 208 / 1127, 208 / 1128, 208 / 1129, 208 / 1130 है। ऐसी अवस्था में आवेदन अपूर्ण एवं समस्त नवीन स्थापित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में न होने के कारण और केवल कुछ भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने के परिणामस्वरूप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह कि भूमि का आवंटन गत 40 वर्ष पूर्व हुआ तत्सम्बन्धित भूमि पर आवंटन तथा आवंटियों द्वारा बाद प्राप्ति खातेदारी भूमि का विक्रय विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जो विक्रय पत्र के आधीन भूमि के अधिपत्यधारियों द्वारा उनका उपयोग उपभोग करते है। विवादित भूमि के अधिकार खातेदारी प्राप्त होने के उपरान्त तथा खातेदारान द्वारा भूमि अनेक व्यक्तियों को विक्रय की गई जिन्होंने भूखण्डों का निर्माण करते हुये भूमि का परिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ कराया ऐसी अवस्था में भूमि को आवासीय परियोजनार्थ परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप भूमि के सम्बंध में धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के आधीन कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप न्यायालय श्रीमान को आवेदन के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि मूल रूप में जिन व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन स्वीकार हुआ उनके नाम वर्तमान प्रकरण में अंकित नहीं किये गये है और ना ही कथित किये गये है। आवंटन का दिनांक अथवा दिवस भी अंकित नहीं किया गया है और ना जिन व्यक्तियों को आवंटन हुआ को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया गया है ऐसी अवस्था में प्रकरण में दोष असंयोजन आवश्यक पक्षकार है और प्रकरण पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम सांडा तहसील धौलपुर, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2032 से 2033, नक्शा ट्रेस ग्राम सांडा, नकल जमाबन्दी खतौनी नं0 308,307 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी ख0नं0 208 / 1129 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर, नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 208 / 1130 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर पेश की है।

बहस प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण संख्या 5,13,9,12, 15 लगा0 17 एंव 29, 34 के उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गई। शेष अप्रार्थीगण के अभिभाषक वहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थी के विद्वान

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी चौंदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता थे तथा बन्दोवस्त पूर्व चौंदवाडी फौज के उपयोग में आते थे। राजस्व रिकार्ड में चौंदवाडी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार की जमीनों को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नाम अन्तरण नहीं किये जा सकते है। विवादित आराजी चौंदवाडी दर्ज होने के कारण किसी भी प्रकार से आवंटित या नियमन नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण ने चौंदवाडी फौज व गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन, नियमन गलत तरीके से कराया जिसको दौराने बन्दोवस्त गैरखातेदारी फिर खातेदारी का इन्द्रांज कराया जो कि कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगणों ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्रों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवंटन हेतु आवंटन कमेटी को दी गई जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत जॉच करने के पश्चात आवंटन किया गया है। तत्पशचात नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये है। उत्तरदातागण द्वारा खातेदार से जमीन कय की गई है। कय करने के पश्चात विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विकय पत्रों द्वारा विकय की गई है तथा केताओं का मौके पर कब्जा है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवंटन जब तक है और आवंटन को निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक रेफरेन्स की कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है। यह स्वीकार नहीं है कि यह भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रभावी होते समय चॉदबाडी व रास्ते की भूमि हो। धौलपुर रियासत मत्स्य राज्य जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य का हिस्सा है में धौलपुर रियासत के अन्तिम महाराज स्व. श्री उदयभान सिंह ने वर्ष 1954 के आस पास मिलाने हेतु सहमति दे दी थी और धौलपुर रियासत मत्स्य राज्य की हिस्सा बन गयी जो बाद में राजस्थान राज्य का हिस्सा बनी है। इस प्रकार से वर्ष 1954 के पश्चात से धौलपुर में फौज अर्थात सेना की स्थिति नहीं रही न ऐसी कोई गतिविधियॉ धौलपुर में रही है। प्रार्थी द्वारा गत खसरा संख्या 225 मिन, 226मिन, 216मिन का जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है वह असत्य एवं अपूर्ण है। भूमि का परिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ कराया ऐसी अवस्था में भूमि को आवासीय परियोजनार्थ परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप भूमि के सम्बध मे धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के आधीन कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। मूल रूप में जिन व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन स्वीकार हुआ उनके नाम वर्तमान प्रकरण में

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अंकित नहीं किये गये है और ना ही कथित किये गये है। आवंटन का दिनांक अथवा दिवस भी अंकित नहीं किया गया है और ना जिन व्यक्तियों को आवंटन हुआ को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र की मद नम्बर–1 में ग्राम सांडा तहसील धौलपुर के हाल खसरा नम्बर 208/1127 4 बीघा 11 विस्वा एवं 208/1128 रकबा 4 बीघा 3 सावक खसरा नम्बर 225 मिन, 216मिन व 216 मिन के बनना बताया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 208/1127 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा का सावक खसरा नम्बर 225 मिन रकबा 5–00 बीघा, 216 मिन रकबा 1 बीघा 4 विस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 208/1128 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा का सावक खसरा नम्बर 216 मिन रकबा 5 बीघा 16 विस्वा है इस प्रकार सावक खसरा नम्बर 225 मिन के 5 बीघा रकबा एवं सावक खसरा नम्बर 216 मिन के 7–00 बीघा रकबा से रैफरेन्स आवेदन में अंकित दोनो खसरा नम्बर बने है जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2015–18 के अनुसार सावक खसरा नम्बर 216/1 का रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, 216/2 का रकबा 46 बीघा 13 विस्वा एवं 216/3 का रकबा 5 बीघा 8 विस्वा कुल रकबा 55 बीघा 3 विस्वा है इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2015–18 के अनुसार सावक खसरा नम्बरा 225/2 का रकबा 28 बीघा 12 विस्वा है। प्रार्थी के द्वारा आवेदन के साथ सावक खसरा नम्बर 216 एवं 225 के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया कि हाल खसरा नम्बर किस सावक खसरा नम्बर एवं किस सावक रकबा से बने हैं तथा वरवक्त आवंटन उनकी किस्म क्या थी एवं किसके नाम दर्ज हुई क्योकि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी सावक खसरा 216 एवं 225 नम्बरो का कुल रकबा से वर्तमान खसरा नम्बर 208/1127 व 208/1128 का रकबा अधिक है तथा मिलान क्षेत्रफल में सावक खसरा नम्बर 216 व 225 के अन्य वर्तमान खसरा नम्बरान भी बने हुऐ है इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड से रैफरेन्स प्रकरण में विवादित हाल खसरा नम्बरो का सावक खसरा नम्बरो के रकबा से सम्पूर्ण रकबा की स्थिति स्पष्ट नही होती है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2015–18 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 225/2 जमाबन्दी के भूमि अधिकारी के कॉलम संख्या 4 में मिलिकियत सरकार तथा कृषक के कालम संख्या 5 में काबिल जरायत चांदवाडी फौज एवं किस्म ऊसर अंकित है। चांदबाडी भूमि की किस्म वर्गीकरण की श्रेणी में नही आती है रेकार्ड में भूमि की किस्म ऊसर अंकित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की श्रेणी में नही आती है। प्रार्थी के द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजात पेंश नही किया जिससे यह सिद्व हो सके कि उक्त भूमि चांदवाडी (फायरिंग फील्ड) के लिए रक्षा विभाग को आवंटित हुई हो और उनके नाम का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हुआ हो यदि चांदवाडी (फायरिंग फील्ड) के लिए संबंधित विभाग को भूमि आवंटित होती तो विभाग का नाम जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में अंकित किया जाता किन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा रैफरेन्स आवेदन में प्रस्तुत नही किया गया। साविक खसरा नम्बर 216/1, 216/2, 216/3 जमावन्दी सम्वत 2015–18 के कालम संख्या 4 में मिलिकियत सरकार अंकित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि राज. सरकार की थी। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में उक्त भूमि का अप्रार्थीगणो के नाम गलत रूप से आवंटन किया जाना कथन किया है किन्तु किसी राजकीय भूमि के आवंटन से पूर्व विधिवत प्रोक्लेमेशन जारी किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो की सिफारिस के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों का भूमि विधिवत आवंटित जाती हैं। प्रार्थी के द्वारा रैफरेन्स आवेदन पत्र में आवंटन की प्रोक्लेमेशन को चुनोती दिये जाने और उक्त भूमि में हुए विभिन्न आवंटन को निरस्त कराने की गई कार्यवाही की से संबंधित कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही किया और न ही यह स्पष्ट किया कि आवंटन कब हुआ और अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कब हुये प्रार्थी द्वारा कई वर्षो के पश्चात् रैफरेन्स आवेदन प्रस्तुत कर अप्रार्थीगणो के नाम रेकार्ड में हो रहे इन्द्राजात को चुनोती दी गई है साथ ही रैफरेन्स आवेदन में वर्णित खसरा नम्बरान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किनके नाम अंकित है ऐसा भी कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रैफरेन्स कार्यवाही काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार करने योग्य नही है इस संबंध में विभिन्न न्यायालयो द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त अवधारित किया गया किः–

1. Power of Reference should be exercised within a reasonable time. The invocation of the power after inordinate delay and after unreasonable length of time would be illegal and void- 2007 RBJ 31, RRT 717, RRD 620
2. Exercise of power of refrence after 35 years is arbitrary, unreasonable and unjust RBJ 2005 438, RRD 669

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

3. Refrence cannot be made after inordinate dealy. Further, State cannot be permitted to resort various provisiond for achieving the same result. 2005 RBJ 600 HC
4. Exercise of power of reference after unreasonable length of time i.e. 30 years would be unjust, arbitrary and unreasonable 2005 RBJ 435, RRD 713 HC
5. Refrence after 33 years- Not justified 2003 RBJ 402, RRD 447
6. Reference after delay of 46 years is void and illegal 2010 RBJ 688

यद्यपि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तरत रैफरेन्स पेंश करने के लिए समयसीमा निर्धारित नहीं हैं परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि रैफरेन्स प्रार्थना पत्र रीजनेविल समय में प्रस्तुत किया जावें वर्तमान प्रकरण में यह आक्षेप नही है कि भूमि का आवंटन Fraud या misenterpation के माध्यम से अर्जित किया गया हो। भूमि की मिल्कियत राजस्थान सरकार के नाम है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विविधवत आवंटन किया जाना पाया है तत्समय भूमि की किस्म ऊसर अंकित हैं तथा प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि भूमि डिफेन्स के नाम फायरिंग रनेज के लिए आवंटित की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया हैं। माननीय न्यायालयो के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो से हम सहमत है और प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स आवेदन सारहीन एवं विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण प्रार्थी के कथनो से हम सहमत नही है और हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स आवेदन पत्र अर्न्तगत नियम राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर